

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक _____
R.11019/147/2011-Sec07(6)

पटना, दिनांक _____

प्रेषक,

मदनजी पाण्डेय,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

ई-मेल

उप विकास आयुक्त,
शिवहर, रोहतास एवं भागलपुर ।

विषय :- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2011-12 में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के लिए विमुक्त प्रथम किस्त केन्द्रांश की राशि ₹ 227.32 लाख (दो करोड़ सताईस लाख बत्तीस हजार) के विरुद्ध देय राज्यांश की राशि के रूप में कुल ₹ 75.772 लाख (पचहत्तर लाख सतहत्तर हजार दो सौ) की राशि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 में आवंटन के संबंध में ।

प्रसंग :- विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-76007 दिनांक-14.10.2011

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2011-12 में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के लिए विमुक्त प्रथम किस्त केन्द्रांश की राशि ₹ 227.32 लाख (दो करोड़ सताईस लाख बत्तीस हजार) के विरुद्ध देय राज्यांश की राशि के रूप में कॉलम-5 में अंकित कुल ₹ 75.772 लाख (पचहत्तर लाख सतहत्तर हजार दो सौ) की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 में निम्न रूप से आवंटित की जाती है :-

(रूपये लाख में)

क्रम	जिला का नाम	प्रथम किस्त केन्द्रांश की राशि विमुक्ति संबंधी भारत सरकार के आदेश सं0 एवं तिथि	प्रथम किस्त केन्द्रांश विमुक्त राशि	देय अनुपातिक राज्यांश का वर्ष 2011-12 में आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1.	शिवहर	J-12014/03/2011-SGSY-I(112) dated-29.09.11	28.49	9.496
2.	रोहतास	J-12014/15/2010-SGSY-I(107) dated-16.09.11	100.10	33.366
3.	भागलपुर	J-12014/02/2011-SGSY-I(104) dated-07.09.11	98.73	32.910
कुल :-			227.32	75.772

- राशि का आवंटन विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-76007 दिनांक-14.10.2011 द्वारा स्वीकृत राशि से किया जाता है ।
- आवंटित राशि मुख्य शीर्ष-2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष-06-स्वरोजगार कार्यक्रम, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, समूह शीर्ष-राज्य योजना के अंतर्गत उप शीर्ष-0101-स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, विपत्र कोड-पी-2501067890101, विषय शीर्ष-50 03-राज्यांश के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 में विकल्पनीय है।
- आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित जिला के जिला कोषागार से की जायेगी ।

[Signature]
2011/21/2011

5. यह आवंटन वित्त विभागीय परिपत्र सं०- 2561वि.(2) दि०-17.04.98 एवं पत्रांक-159वि. दि०-20.03.09 की कंडिका-2 में निहित निदेशों एवं शर्तों का अनुपालन कर निर्गत किया जा रहा है ।
6. ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के ध्यान में रखते हुए वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 वि०(2) दि.-17.04.98 की कंडिका-2 में निहित प्रावधान को विभागीय पत्रांक-3873 दिनांक-12.04.06 द्वारा प्रभावहीन किये जाने के फलस्वरूप आवंटित राशि की एक मुश्त अग्रिम निकासी कर व्यय करने की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है । राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-8593 दिनांक-17.11.07 में निर्धारित प्रावधान के अनुसार की जायेगी ।
7. संबंधित उप विकास आयुक्तों से अनुरोध है कि आवंटित राशि की निकासी कर भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शनों के अधीन राशि का व्यय कर कोषागार प्रमाणक एवं तिथि सहित व्यय विवरणी प्रत्येक आने वाले माह की 5वीं तारीख तक विभाग को नियमित रूप से उपलब्ध करावें एवं ए.सी. बिल से निकासी की गई राशि के विरुद्ध डी.सी. बिल कोषागार एवं महालेखाकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ।
8. इसकी सूचना महालेखाकार (ले०हक०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना तथा वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(मदनजी पाण्डेय)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक _____ पटना, दिनांक _____


प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले०हक०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 85838 (आ०) पटना, दिनांक 28/12/11

प्रतिलिपि- संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


28/12/2011

सरकार के संयुक्त सचिव

Q4